

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 16/2018-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2018

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा के अनुच्छेद 152 (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

क्र. सं.	नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मै एसोसीयेट एलाइड केमिकल्स (इंडिया) प्रा. लि., 41, मनोज इंडस. एस्टेट, जी. डी. अंबेडकर रोड, वडाला, मुंबई और श्री. सतीश छोटालाल गांधी, चैयरमैन और प्रबंध निदेशक, मै एसोसीयेट एलाइड केमिकल्स (इंडिया) प्रा. लि., 41, मनोज इंडस. एस्टेट, जी. डी. अंबेडकर रोड, वडाला, मुंबई	फा. सं. DRI/AZU/GI-02/Enq-45/2017 दिनांक 30.07.2018.	प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (III), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात), मुंबई ज़ोन-III, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई	प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.
2.	मै यूनिस्टार डिस्ट्रिब्यूटरस (प्रा) लि., D-30, फ़ेस-V, फोकल पॉइंट, लुधियाना और	फा. सं. DRI/LDZU/856(Inv-6)(Int-5)/ 2017 दिनांक 26.02.2018	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम आयुक्तालय, आईसीडी-जीआरएफएल, साहनेवाल, लुधियाना	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम आयुक्तालय, आईसीडी-जीआरएफएल,

	श्री सुमित अरोडा, निदेशक, मै यूनिस्टार डिस्ट्रिब्यूटरस (प्रा) लि., D-30, फ़ेस-V, फोकल पॉइंट, लुधियाना.		संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, कोलकाता.	साहनेवाल, लुधियाना
3.	(क) मै इंद्रा सिस्टेमास इंडिया प्रा. लिं., 14 ^थ तल, एरॉस कोपरेट टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 (ख) मै जीएमआर हैदराबाद विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे प्रा. लिं., आईबीसी नोलेज पार्क, फ़ेस-2, "डी" ब्लॉक, 10 ^थ तल, 4/1, बेनेरघातता रोड, बेंगलुरु-560029. और (ग) मै जीएमआर ओएसई हुंगुंड होस्पेट हाइवेस प्रा. लि., आईबीसी नोलेज पार्क, फ़ेस-2, "डी" ब्लॉक, 10 ^थ तल, 4/1, बेनेरघातता रोड, बेंगलुरु-560029	फा. सं. DRI/DZU/ JRU/19/Enq- 26/Int./2016 दिनांक 07.06.2018. (कारण बताओ नोटिस सं. 100/2018)	प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क, एयरपोर्ट & एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, देवनहल्ली, बेंगलुरु. आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), न्हावा शेवा-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़ के कार्यालय मे संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क. आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), न्हावा शेवा-III, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़ के कार्यालय मे संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क. आयुक्त सीमाशुल्क-II, कस्टम हाउस, चेन्नई के कार्यालय मे संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क. प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क, एलबीएस स्टेडियम रोड, बशीरबाघ, हैदराबाद के कार्यालय मे संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, एयरपोर्ट & एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, देवनहल्ली, बेंगलुरु.

[फा. स. DRI/HQ-CI/50D/CAA-14/2018-CI]

(शैलेश कुमार)
अपर निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद, दिल्ली और लुधियाना।
4. तालिका के स्तंभ (2) वर्णित नोटिसी।